न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
120 / 2023

दायर दिनांक
04.04.2023

निर्णय दिनांक
16.01.2024

उनवान

1. श्री राजु पुत्र जगन्नाथ जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री सायर पत्नी लहरू जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति बाना पत्नी गणेश जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री धन्ना पुत्र नानू जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री नारू पुत्र नानू जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री भैरू पुत्र कल्याण जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
7. बद्री पुत्र लाला जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
8. कमला पुत्री नन्दा जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
9. गोपाल कंवर पुत्री समुन्द्र सिंह निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
10. लेहरू पुत्र लाला जाट निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
11. श्रीमति रतन कंवर पत्नी जोरावर सिंह निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
12. रणजीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी पोण्डरास तहसील व जिला भीलवाडा।
13. रामचन्द्र पुत्र सुखदेव जाट निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, हरणीकला तहसील व जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थीगण सं. 1 से 13 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पोण्डरास प0ह0 रूपाहेली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 204 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 434 रकबा 0.6575 है, आ0नं0 435 रकबा 0.0126 है0, 440 रकबा 0.3414 है0, आ0नं0 587 रकबा 1.3530 है0, आ0नं0 588 रकबा 0.8852 है0, आ0नं0 594 रकबा 0.4426 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 13 पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पोण्डरास प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 204 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 434 रकबा 0.6575 है, आ0नं0 435 रकबा 0.0126 है0, 440 रकबा 0.3414 है0, आ0नं0 587 रकबा 1.3530 है0, आ0नं0 588 रकबा 0.8852 है0, आ0नं0 594 रकबा 0.4426 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahlad
16/1/24

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा